(b) if no steps have been taken the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) The site for the overbridge has been selected and finalised in consultation with the State Government. The State Government of Orissa is yet to prepare the drawings for the approaches. The calculations for the design of main portion of the bridge are also awaited from the State Government. The matter is under further correspondence with the State Government.

(b) Does not arise.

Steps taken to Control Unrecognised Railway Unions in Khurda Road Division. (South Eastern Railway)

21. SHRI ARJUN SETHI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the steps Governments have taken to control the unrecognised Railway Unions which have been the contributory cause for increased lawlessness in the Khurda Road Division of the South Eastern Railway; and

(b) if no steps have been taken the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) and (b). Unrecognised Unions are not allowed to have any official dealings with the Railway Administrations concerned. Cases of breach of discipline on the part of individual employees are dealt with suitably.

Travelling Allowance to Trainees of Zonal Training School at Sini (South Eastern Railway)

23. SHRI SAROJ MUKHERJEE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Chief Personnel Officer, South Eastern Railway granted travelling Allowance to the trainees of Zonal Training School at Sini with effect from 1st April, 1970 and discontinued it with effect from 1st January, 1972;

(b) if so, what are the reasons for granting it and subsequently discontinuing it; and

(c) what are the difficulties in reintroducing the particular system which was in vogue from 1st April, 1970 to the 1st January, 1972 in South Eastern Railway?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) Yes.

(b) In Railway Training Schools, where messing arrangements exist, staff undergoing training, are required to be given free messing in lieu of Daily Allowance in terms of Rule 429 of the Indian Railway Establishment Code Volume I. In the Railway Training School at Sini, where messing arrangements exist, the Railway Administration provisionally allowed Daily Allowance in lieu of free messing with effect from 1st April, 1970 and approached the Board to authorise this practice in relaxation of the Code Rule referred to above. The Railway Board did not agree and the payment of Daily Allowance in lieu of free messing was discontinued from 1st January, 1972.

(c) The procedure adopted by the Railway Administration from 1st April, 1970 to 31st December, 1971 was not in conformity with the rules and therefore had to be discontinued.

पटना उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़े मामले तथा उनका निपटान

24. श्री शंकर दयाल सिंह :

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना उच्च न्यायालय में 31 जनवरी, 1973 तक विचाराधीन मामलों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) उनको निपटाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) 31 जनवरी, 1973 तक की जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है । 31 दिसम्बर, 1972 को लम्बित मामलों की संख्या 23,704 थी ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में दो न्यायाधीश और बढ़ा दिये गये हैं । राज्य-प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे इस समय संस्थित किए गये, निपटाये गये तथा अनिर्णीत मुकदमों को ध्यान में रखते हुये, न्यायाधीशों की संख्या की फिर से जांच करें ।

न्यायमूर्ति जे० सी० शाह् की अध्यक्षता में न्यायाधीशों की एक समिति ने उच्च न्यायालयों मे बकाया मुकद्मों की समस्या पर एक रिपोर्ट पेश की है । समिति ने अनिर्णीत मुकद्मों की संख्या कम करने और न्याय में बिलम्ब कम करने के लिये अनेक सिफारिशें की है । समिति की वे सिफारिशें जो पूर्णत: प्रशासनिक प्रकार की हैं और जिनके लिये नियम, कानून या विधि में संशोधन कर ने की आवश्यकता नहीं है, राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को त्रियान्वित करने के लिये भेज दी गई है । जिन सिफारिशों में कानून या विधि के संशोधन की उपेक्षा की गई है उनकी जांच की जा रही है और उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों और राज्य सरकारों के विचार मालूम कर लिये जाने के लिये पश्चात् उनके बारे में निश्चय किया जायेगा ।

विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिविल मुकद्मेबाजी में बिलम्ब समाप्त करने या कम करने और उस द्वारा खर्च घटाने की दृष्टि से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में कुछ विशेष प्रकार के संशोधनों का सुझाव दिया है । सुझाव विचाराधीन है । पुनर्गठित विधि आयोग से भी सिविल प्रक्रिया संहिता में और संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये अनुरोध किया गया है । हाल ही में, आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं, जिसकी जांच की जा रही है ।

विधि आयोग ने दाण्डिक मामलों में प्रक्रिया सम्बन्धी विधि के संशोधन के लिये भी अनेक सिफारिशें की हैं । उनमें से बहुत सी सरकार द्वारा मान ली गई हैं और दण्ड प्रक्रिया संहिता के पुनरीक्षण के लिये एक विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित कर दिये जाने के पश्चात्, लोक सभा में विचाराधीन है ।

आंध्र प्रदेश में आन्दोलन के कारण रेलों को हुई क्षति

25. **श्री शंकर दयाल सिंह :**
श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मूल्की रूल आन्दोलन के सिलसिले में आंध्र प्रदेश में विगत छः महीनों के अन्दर भारतीय रेलों को कितनी क्षति पहुंची है और उसका विवरण क्या है; और

(ख) इस क्षति की पूर्ति के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है;